भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **3067**

दिनांक 12 मार्च , 2020 / 22 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>नागर विमानन क्षेत्र का वित्तीय स्वास्थ्य</u>

3067. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नागर विमानन कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र को वित्तीय रूप से अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)</u>

(क) तथा (ख) सरकार, नागर विमानन क्षेत्र के कार्य पर लगातार नजर रखती है। हालांकि, नागर विमानन मंत्रालय कंपनी विशेष का विस्तृत विश्लेषण नहीं करती है। तथापि, मंत्रालय एअर इंडिया तथा इसकी सहायक कंपनियों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करता है।

(ग) एवं (घ) : नागर विमानन क्षेत्र को वित्तीय तौर से अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैः-

i) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा निजी परिचालकों के माध्यम से हवाईअड्डा अवसंरचना प्रदान करना।

ii) देश में एक दक्ष विमान दिक्चालन प्रणाली प्रदान करना।

iii) स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार विमर्शों के माध्यम से उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए समन्वय स्थापित करना।

iv) योजना दस्तावेजों के अनुसार, चयनित एयरलाइन परिचालकों को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के अंतर्गत, व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण तथा अन्य रियायतें प्रदान करना।

v) अनुमोदित योजना के अनुसार एअर इंडिया को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

vi) 11 अक्टूबर 2018 से एटीएफ पर लागू केंद्रीय उत्पाद शुल्क को 14% से घटाकर 11% करना।

vii) वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधानों का युक्तीकरण।

viii) राष्ट्रीय नागर विमानन नीति-2016 में दिये गये मानदंड के आधार पर मार्ग प्रसार दिशानिर्देशों के अधीन श्रेणी-I मार्गों का युक्तीकरण।

ix) 5/20 की अपेक्षा को संशोधित किया गया है और सभी एयरलाइनें अंतर्राष्ट्रीय परिचालन कर सकती हैं बशर्ते कि

ये एयरलाइनें 20 विमान अथवा कुल क्षमता का 20% (सभी प्रस्थानों को मिलाकर उनकी औसत सीट संख्याओं के अनुसार) इन में से जो भी अधिक हो, घरेलू परिचालनों में लगाएं।

x) विमान सेवा समझौतों के ढ़ांचे के अंतर्गत, घरेलू कोड़ शेयर प्वाइंट्स का उदारीकरण।

xi) मौजूदा हवाईअड्डों को नवीकृत करने के विचार से, जिससे कि उच्च मानकों को स्थापित किया जा सके तथा उनके माँग के दबाव को आसान करने के लिए, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को ब्राउनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं में अनुमति प्रदान कर दी गई है। यह घरेलू विमानन अवसंरचना के विकास को सरल बनाएगा। अनुसूचित विमान परिवहन सेवा/घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन के लिए एफडीआई को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% की अनुमति प्रदान कर दी गई है। अप्रवासी-भारतीयों (एनआरआई) के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई देना जारी रखा जाएगा। विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं को परिचालित करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में, उनकी प्रदत पूंजी के 49% तक की सीमा में निवेश करने की अनुमति है। इस प्रकार का निवेश इस शर्त के अधीन है कि अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित परिचालकों का परमिट, केवल उस कंपनी को प्रदान किया जाएगा जिसका स्थायी-स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण, भारतीय राष्ट्रीक के पास हो।

*****